# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील संख्या 157/2020 जिला दौसा**

आम जनता ग्राम भेडोली कालोता तह0 दौसा जरिये

1. हनुमान पुत्र लल्लूराम
2. नहनूराम पुत्र भागीरथ
3. रामसहाय पुत्र श्योजी
4. जयनारायण पुत्र छीतरमल
5. रूपनारायण पुत्र राधाकिशन

समस्त जाति रैगर, निवासी भेडोली, तह0 दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामपति पत्नि धनश्याम
2. सुगना पत्नि श्यामलाल

जाति रैगर निवासी ग्राम भेडोंली तह0 दौसा।

3. भू आवंटन सलाहकार कमेटी जरिये अध्यक्ष एस.डी.ओ. दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 28.12.2012 उनवानी आम जनता भेडोली कालोता बनाम रामपति

उपस्थित—

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट
2. श्री वरूण नागर, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 2 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 3 व 4

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

## निर्णय

दिनांक —13.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 28.12.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट आम जनता ग्राम भेडोली कालोता तह. दौसा जरिये हनुमान वगै0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 14(4) इस आशय से पेश कर वाके ग्राम कालोता तहसील दौसा के आराजी खसरा नं. 5 रकबा 0.05 है0 भूमि को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 08.12.2004 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया जिसे निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिशनर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.12.2012 को प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक 08.12.2004 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये।

3. जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट आम जनता ग्राम भेडोली कालोता तह. दौसा जरिये हनुमान वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 28.12.2012 एवं आंवटन आदेश दिनांक 08.12.2004 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया रेस्पो. नं. 1 व 2 को आंवटन रूल्स की अवेहलना करके आंवटन समिति ने फ्राड व धोखे से दिनांक 08.12.2004 को वाके

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम कालोता में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 0.05 है0 का आंवटन कर दिया उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स का अधिनिस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर दौसा ने कानून के विपरीत तरीके से दिनांक 28.12.2012 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया किन्तु आंवटन यथावत रख दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गयी सम्पूर्ण बहस को लिखे बिना व अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गयी कानूनी नजीरों का हवाला दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरफ तो रेस्पों. नम्बर 1 व 2 को मंदिर प्याउ रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान न करने हेतु पाबन्द करके और उक्त आंवटन वाली भूमि को सार्वजनिक स्थल की भूमि मानकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। जब प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है तो आंवटन आदेश दिनांक 08.12.2004 को निरस्त करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आंवटन आदेश को यथावत रखकर कानूनी गलती की है। उक्त आवंटन फ्राड व धोखे से किया गया है जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी सिद्ध था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अलॉटमेन्ट यथावत रखकर कानूनी गलती की है। जिस भूमि का आंवटन किया गया है वह आंवटन योग्य भूमि नहीं थी बल्कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में आती है। ऐसी भूमि का कानूनन आंवटन नहीं किया जा सकता है। कानूनन उक्त भूमि आंवटन योग्य भूमि नहीं थी उक्त भूमि का आंवटन नियम 4 व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत आंवटन नहीं किया जा सकता था। अपीलान्ट ने इसे बखूबी सिद्ध किया था किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आंवटन यथावत रखकर कानूनी गलती की है। उक्त आंवटन रूल्स की अवेहलना करना बखूबी सिद्ध था। उक्त भूमि में मंदिर, पानी की टंकी, हैण्डपम्प आदि बना हुआ होना सिद्ध था मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा सिद्ध था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों व कब्जे की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 28.12.2012 एवं आंवटन आदेश दिनांक 08.12.2004 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के वकील ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 08.12.2004 को ग्राम कालोता के ख. नं. 5 रकबा 0.14 है जिसमें से 0.05 है0 भूमि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 2 को विधिवत रूप से भूमि का आंवटन किया गया है। जिसको 22 वर्ष हो चुके हैं। इससे पूर्व से अप्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है। इस भूमि पर अप्रार्थीगणों को रेवडा व नीम, आम के पेड खडे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि की गिरदावरी पेश की है। प्रश्नगत भूमि का मौका कमिश्नर द्वारा मौका देखा गया है। जिसमें अप्रार्थी का कब्जा होना बताया है। पानी की टंकी, मंदिर व हैण्डपम्प विवादित भूमि में नहीं है। आंवटन शिविर में किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की धोखाधडी नहीं की गई। आंवटन से पूर्व व बरवक्त आंवटन आम जनता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। आंवटन के समय से पूर्व आम जनता का इस तरह का कोई प्रा.पत्र नहीं था। आंवटन शिविर में आम जनता के समक्ष पूर्ण कोरम से आदेश पारित किया गया है। प्रथम वर्ष में आधी व दूसरे वर्ष में पूरी भूमि को काश्त करने संबंध मे सन 1999 में उक्त नियम की धारा 14 (3) में संशोधन किया जा चुका है। उसके पश्चात ऐसा कोई नियम नहीं रहा । जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। केवल असत्य कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 3 व 4 ने भी अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा मौका कमिशनर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 28.12.2012 को प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज कर आवंटन आदेश दिनांक



Scanned with OKEN Scanner

08.12.2004 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये है, जो उचित एंव विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रमाणित दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नं. 5 रकबा 0.05 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.12.2004 को रेस्पोडेण्ट नं 1 व 2 के पक्ष में किया गया है। अपीलांट इस आवंटन को इस आधार पर निरस्त करवाना चाहता है कि जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश से दिनांक 28.12.2012 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया किन्तु आंवटन यथावत रख दिया। प्रश्नगत भूमि आ0ख0नं0 5 रकबा 0.14 है0 भूमि होना प्रमाणित है। मौका कमीशनर की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पैमाईश के वक्त खींची गई मौके की फोटो से भी स्पष्ट है कि आंवटित की गयी भूमि बंजड है। जिसमें बम्बूल के पेड व जगह–जगह ढाहरे तथा खेडा गोबर के कचरे के ढेर पडे हुये हैं तथा एक लाईट का खम्बा है। जिसमें डी.पी.रखी है। पटवारी के बताये अनुसार उक्त आंवटित भूमि में से सडक में भूमि गई है। मौके पर पुख्ता सडक बनी हुई है। जिसके लगती हुई विवादित भूमि खसरा नम्बर 05/01 है। उक्त भूमि के लगती उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 06 रकबा 0.11 हैक्टयर भूमि है। जिसमें एक कच्चा रास्ता तलाई की तरफ जाता है तथा एक बडी पानी की टंकी बनी हैं तथा एक पुख्ता कुआं बना हुआ है तथा सडक के किनारे एक हैडपम्प पुराना लगा है। जिसमें पानी नहीं आता है, बन्द है, तथा तीन–चार गोबर के रेवडे पडे हैं तथा ढाहरे जगह–जगह पडे हैं। विवादित खसरा नम्बर 5/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर में होकर स्टेट हाईवे दौसा से कुण्डल भांवता व बांदीकुई को जाने वाली पुख्ता सडक है। शेष रकबा सडक किनारे है। जिसमें पेड पौधे बडे–बडे हैं। तथा गोबर के रेवेडे व कचरा आदि पडे हैं। हमारा विनम्र मत है कि रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 101 के अन्तर्गत राजकीय भूमि बिना कब्जा की कृषि प्रयोजनार्थ आंवटन करवाने के लिए कृषि भूमि चाही गयी है जबकि आंवटन कमेटी द्वारा आंवटी को खसरा नं. 5 रकबा 0.14 है0 मे से 0.05 है0 भूमि आंवटित की गयी है। उक्त विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। यह भूमि सार्वजनिक तलाई के सहारे की भूमि है। जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए पानी की टंकी व बडी भेडोली गॉव का आम जनता के पीने के लिए बनी हुई है। मंदिर बना हुआ है। सरकारी हैण्डपम्प लगे हुए हैं। केवल मात्र 5 ऐयर भूमि है जिसमें से दौसा से बांदीकुई होता हुआ अलवर रोड बना हुआ है। जिससे उक्त आंवटन शुदा भूमि रोड के किनारे की भूमि है। नियमानुसार रोड से 50 गज की परिधि के भीतर की भूमियों को छोडकर ही आंवटन किया जा सकता है। इस प्रकार शेष भूमि नगण्य बनती है। जिसका कृषि उपयोग संभव नहीं है, जिस प्रयोजन के लिए भूमि का आंवटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 एवं आंवटन आदेश दिनांक 08.12.2004 उचित प्रतीत नहीं होता है एवं खारिज किये जाने योग्य है।

<u>अतः आदेश है कि:–</u> अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2012 एवं आंवटन आदेश दिनांक 08.12.2004 निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner